कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन" सेक्टर 24, अटल नगर, रायपुर
फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110
E-mail: mfpfed.cg@nic.in; Website: www.cgmfpfed.org

संशोधन क्रमांक 02 दिनांक 22-11-2022

वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 के क्रेता करारनामा समाप्त तेन्दू पत्ते के विक्रय हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)/2019-2020-2021/XX दिनांक 26-08-2022 के साथ संलग्न परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 13 करारनामा (अनुबंध) का हस्तांतरण की शर्त को हिन्दी भाषा में निम्नानुसार विलोपित किया जाता है:-

मुद्रित शर्त

"क्रेता संघ / मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ / संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति /पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है, वह रू. 10,000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट के क्रय मूल्य की न्यूनतम 25% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जिसमें से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि शर्त क्रमांक 14(ii) में दर्शाये विवरण अनुसार अदा की जाएगी तथा अवशेष प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पास, शर्त क्रमांक 14(ii) में दर्शाये विवरण अनुसार अग्रिम में जमा की जाएगी। हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता / निर्यातक के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रू. 10,000/- तथा लाट के क्रय मूल्य की 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि के बैंक ड्राफ्ट तथा बैंक गारंटी संघ / संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लाट का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है।"

संशोधित शर्त

विलोपित।

22/11

(एस.एस.बजाज)
विशेष प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

पृ.क्रमांक/MFP 02/2022 16664 रायपुर, दिनांक 22 /11/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक,** (छत्तीसगढ)। उक्त संशोधन संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** में अपलोड की गई है। संशोधन की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। कृपया अपने अधीनस्थ प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों को भी निर्देशित करें कि वेबसाईट से संशोधन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय उपयोग हेतु प्राप्त करें।
2. **समस्त प्रबंध संचालक**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. छत्तीसगढ़।
3. **कम्प्यूटर कक्ष,** संघ मुख्यालय रायपुर, संघ के वेबसाईट पर अपलोड करें।

विशेष प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर